रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 13, 1997/माघ 24, 1918
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 1997/MAGHA 24, 1918

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 72 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सहायक (रोकड़िया और हॉस्पिटालिटी असिस्टेंट सम्मिलित हैं) के पद से संबंधित क्रम सं. 21 के सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियम, 1983 की अधिसूची में :—

(1) कालम 10 में लिखी प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् : "शत प्रतिशत प्रोन्नतिद्वारा" ।

(2) कालम 11 में लिखी प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

प्रोन्नति द्वारा

(i) वरीयता के आधार पर इस ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा वाले अपर श्रेणी लिपिक बशर्ते कि उसे अयोग्य आधार पर अस्वीकृत न किया गया हो : 50 प्रतिशत

(ii) विभागीय अपर श्रेणी लिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, संबंधित ग्रेड में तीन वर्षों की लगातार नियमित सेवा वाले सहायक ड्राफ्टमैन और प्रूफ रीडर : 50 प्रतिशत

टिप्पणी : रोकड़िया और हास्पिटालिटी असिस्टेंट के पद चयन के आधार पर इस ग्रेड में तीन वर्षों की लगातार नियमित सेवा वाले उपयुक्त सहायकों से भरे जाएंगे ।

[सं. एफ. 4-21/91-यू.आई.]
नवेद मसूद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 19 मई, 1983 की अधिसूचना सा.का.नि. 434 (ङ) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्तरवर्ती संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 737 (ङ), दिनांक 22-9-1983

(2) सा.का.नि. 1201, दिनांक 1-12-1984

(3) सा.का.नि. 885, दिनांक 2-12-1989

(4) सा.का.नि. 887, दिनांक 2-12-1989

(5) सा.का.नि. 300, दिनांक 4-7-1992

(6) सा.का.नि. 617, दिनांक 10-9-1990

(7) सा.का.नि. 720 (ङ), दिनांक 26-11-1993

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 1997

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of Section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the University Grants Commission Recruitment Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the University Grants Commission Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983, against serial No. 21 relating to the post of Assistant (including Cashier and Hospitality Assistant) :—

(1) in column No. 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—"100% by promotion".;

(2) in column No. 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By Promotion :

(i) UDC with 5 years continuous regular service in the grade on the basis of seniority subject to rejection of the unfit: 50%;

(ii) Through Competitive test of departmental UDCs, Assistant Draftsman and Proof Reader with three years' continuous regular service in the respective grade: 50%

NOTE : The posts of Cashier and Hospitality Assistant shall be filled from suitable Assistants with three years' continuous regular service in the grade on the basis of selection."

[No. F. 4-21/91-U.I.]

NAVED MASOOD, Jt. Secy.

FOOT NOTE : Principal rules were published in Gazette of India vide Notification GSR 434(E) dated 19th May, 1983 and subsequently amended vide Notifications as under :—

(1) G.S.R. 737 (E), dated 22-9-1983.

(2) G.S.R. 1201, dated 1-12-1984.

(3) G.S.R. 885, dated 2-12-1989.

(4) G.S.R. 887, dated 2-12-1989.

(5) G.S.R. 300, dated 4-7-1992.

(6) G.S.R. 617, dated 10-9-1990.

(7) G.S.R. 720 (E), dated 26-11-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapurl, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997